सं.24/237/2014-पब्लिक
गृह मंत्रालय
भारत सरकार
****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 20 जून, 2014

सेवा में,

श्री अब्दुल रहीम,
89, किदवई पथ,
महिदपुर, जिला-उज्जैन
मध्यप्रदेश-456443, ।

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना ।

महोदय,

कृपया आप अपने उपरोक्त विषयक ऑनलाइन आवेदन पत्र रजिस्ट्रेशन सं0-MHOME/R/2014/80506 दिनांक 10.06.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें । आपके द्वारा आवेदन पत्र में वांछित सूचना निम्नवत उपलब्ध करायी जाती हैः-

क्रम संख्या	सूचना
1 से 4 एवं 6	भारत का राष्ट्रगान "जन-गण-मन" भारत की संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी, 1950 को अंगीकार किया गया था तथा गीत "वन्दे मातरम्" को इसके समान दर्जा प्राप्त है । भारत का राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का गायन राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा इस मंत्रालय के द्वारा जारी "भारत के राष्ट्र गान के संबंध में आदेश" के द्वारा विनियमित होता है, जो कि इस मंत्रालय के बेबसाइट "www.mha.nic.in" पर जनसामान्य के अवलोकन के लिए उपलब्ध है । राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर थे । राष्ट्रगान का पाठ "भारत के राष्ट्र गान के संबंध में आदेश" मे वर्णित है। गीत "वन्दे मातरम" के गायन के लिए कोई दिशा-निर्देश इस मंत्रालय द्वारा जारी नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य सूचना इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है। "जन-गण-मन" तथा "वन्दे मातरम्" के संबंध में संविधान सभा की कार्यवाही के दस्तावेज के उद्धरण कुल 1 पृष्ठ का है । उक्त अधिनियम एवं आदेश कुल 7 पृष्ठ के हैं। यदि आप इनकी प्रति प्राप्त करना चाहते है तो आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कुल ₹ 16/- (प्रति पृष्ठ ₹ 2/) नकद भुगतान या बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में जो कि "लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय" के पक्ष में देय हो, इस मंत्रालय में जमा कराया जाना अपेक्षित है ताकि आपको वांछित दस्तावेजों की छायाप्रति उपलब्ध करायी जा सके ।
5 एवं 6	आपके द्वारा इन बिंदुओं में मांगी गई सूचना राष्ट्रपति सचिवालय से संबंधित है। तदनुसार आपके आवेदन पत्र की एक प्रति राष्ट्रपति सचिवालय को सूचना प्रदान करने के लिए प्रेषित की जा रही है।
7	आपके आवेदन पत्र पर हुई कार्यवाही से संबंधित नोटशीट कुल 1 पृष्ठ की है । यदि आप इसकी प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कुल ₹ 2/- जमा कराया जाना अपेक्षित है ।

2. इस मामले मे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत अपील, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी श्री सतपाल चौहान, संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय, कमरा नं 194, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को 30 दिनों के समय में की जा सकती है।

म - 2.2/06/2014

(श्यामला मोहन)
निदेशक एवं केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

प्रतिः (1) राष्ट्रपति सचिवालय [श्री सौरभ विजय, निदेशक एवं केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी], राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली को श्री अब्दुल रहीम द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 10.06.2014 की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु। निवेदन है कि आवेदक के द्वारा बिन्दु 5 एवं 6 में मांगी गई सूचना आवेदक को सीधे उपलब्ध करा दी जाए।

(2) अनुभाग अधिकारी (आई.टी. सेल), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को उपरोक्त आवेदन पत्र की एक प्रति के साथ इस मंत्रालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

फा० ई० -1(आर०)

1

RTI REQUEST DETAILS

Registration No. :	MHOME/R/2014/80506	Date of Receipt :	10/06/2014
Type of Receipt :	Electronically Transferred from Other Public Authority	Language of Request :	English
Name :	Abdul Rahim	Gender :	Male
Address :	89 Kidvai Path, Mahidpur, Distt.Ujjain, Pin:456443		
State :	Madhya Pradesh	Country :	India
Phone No. :	Details not provided	Mobile No. :	+91-9806241282
Email :	nagori553@yahoo.co.in		
Status(Rural/Urban) :	Details not provided	Education Status :	Details not provided
Letter No. :	Details not provided	Letter Date :	Details not provided
Is Requester Below Poverty Line ? :	No	Citizenship Status	Indian
Amount Paid :	10	Mode of Payment	Payment Gateway
Mode(s) of information Supply :	Hard Copy		
Does it concern the life or Liberty of a Person ? :	Details not provided.	Request Pertains to :	SHYAMALA MOHAN, DIR(A&V)
Information Sought :	letterr..........inclosed		

Print Close

340

डा. सं. 292534/पब्लिक/हिन्दी/
Dy. No.......Public/Hindi
दिनांक/Date 17/6/14

SO (Pub)
16/06/2014

Vikash

6/16/2014